रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1978/अग्रहायण 6, 1900
No. 226] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1978/AGRAHAYANA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 88-आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1978

विषय.—आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड-बुक 1978-79 में संशोधन

सिसिल संख्या 1/41/74 ई पी सी (खण्ड 4).—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 29-आईटीसी (पी एन)/78, दिनांक 4 मई, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड-बुक 1978-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे.—

क्रम सं०	हैंडबुक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	3	अध्याय 2 ———— कंडिका 19	निर्धारित "30 दिन" एवं "15 दिन" की वर्तमान समय सीमा कम करके क्रमश: "15 दिन" और "10 दिन" कर दी जाएगी।
2	3	अध्याय 2 ———— कंडिका 21	निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जाएगा :— "यद्यपि आवेदक ने उपर्युक्त कंडिका 19 में उपलब्ध सुविधा का लाभ न उठाया हो फिर भी उपयुक्त मामलों/स्थितियों में मुलाकात के लिए आवेदनों पर विचार किया जाएगा।"
3	6	अध्याय 3 ———— कंडिका 47	प्रथम पंक्ति में "अस्वीकृति प्रदान करना" शब्दों को संशोधित कर "प्रदान या अस्वीकृत" पढ़ा जाएगा।
4	7	अध्याय 4 ———— कंडिका 47	प्रथम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.— "श्री नगर/जम्मू, पणजी (गोवा) से भिन्न ऐसे लाइसेंस कार्यालय जिनका प्रधान नियंत्रक हो, आर ई पी लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

1	2	3	4
5	9	अध्याय 6 ——— पैरा 70	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "लेकिन यह अग्रिम (अग्रदाय सहित) लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा"
6	13	अध्याय 7 ——— पैरा 117	निम्नलिखित को प्रथम वाक्य के बाद में और द्वितीय वाक्य के पहले जोड़ा जाएगा :— "यह सुविधा ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी जो खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत उसी माल का आयात करने के लिए पात्र हैं"
7	16	अध्याय 8 ——— पूंजीगत माल पैरा 141	निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जाएगा :— "इसी प्रकार से निम्नलिखित पैरा 185-186 के अनुसार आई ई पी लाइसेंसों के मद्दे पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्र किसी भी समय दिए जा सकते हैं"
8.	16	अध्याय 8 ——— "परियोजना अनुमोदन बोर्ड"	विद्यमान पैरा 145 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— "145-क. लेकिन उर्वरक परियोजनाओं से संबंधित संयुक्त प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के बजाय उर्वरक परियोजना पर सचिवों की विशेष समिति, रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाए"।
9	16	अध्याय 8 ——— पैरा 147	यह पैरा निकाल दिया जाएगा,
10	17	अध्याय 8 ——— पैरा 150	विद्यमान पैरा को संशोधित कर निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा। "150. इस संबंध में आयात निति के उपबंधों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है, सभी आवेदनपत्र (आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे, उनके आयात के लिए आवेदनपत्रों सहित) केवल इलैक्ट्रानिकी विभाग (कम्प्यूटर निदेशालय), विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिए । जिस मामले में कम्प्यूटर सिस्टम का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक हो उसमें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात सी०जी० कमटी द्वारा अनुमोदन के बाद आयात लाइसेंस जारी करेगा"

1	2	3	4
11	20	अध्याय 8 ——— पैरा 184-क (वाणिज्य विभाग) की सार्वजनिक सूचना सं० 31-आईटीसी (पीएन)/78 दिनांक 15-5-1978 द्वारा निविष्ट	अन्त में शब्द "डाईज" के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— "ड्राइंग डाईज सहित"
12	20	अध्याय 8	विद्यमान पैरा 184-क बाद निम्नलिखित निविष्ट किया जाएगा :— "184-ख. उपर्युक्त पैरा 181-184 के उपबंध सूक्ष्ममापी यन्त्रों के आयात के लिए भी लागू होंगे (परन्तु यंत्रों की अन्य किस्मों के लिए नहीं)"
13	20	अध्याय 8 ——— पैरा 185	आठवीं और नवीं पंक्तियों में वाक्य "आर ई पी लाइसेंस 6 महीने से अधिक पुराने नहीं हैं" को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करके पढ़ा जाएगा :— "संबंधित आर ई पी लाइसेंस आवेदनपत्र की तिथि के अनुसार वैधता की अवधि में कम से कम 6 महीने का अनुपयुक्त बकाया रखते हों"
14	24	अध्याय 10 ——— पैरा 207	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "आवेदनपत्र निम्नलिखित जानकारी देते हुए पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र "ई" में भेजे जाने चाहिए :— (1) आयात के लिए औचित्य, स्पष्ट रूप से उपयोग को निर्विष्ट करते हुए, कैमरा और वी टी आर रखा जाना है; (2) आयात के लिए प्रस्तावित उत्पादों की सूची, पूर्ण विशिष्टिकरण देते हुए और संभरक द्वारा बीजक की प्रति; (3) उपलब्ध किस्म/माडल के बदले में अनुमोदित किस्म/माडल को चुनने के लिए क्या कारण है; (4) सेल्स सर्विस के बाद की व्यवस्था नियमित आधार पर टेप केसेट/स्पूल्स की प्राप्ति और इसके साथ-साथ वार्षिक आधार पर इनकी अनुमानित आवश्यकताएं; और

1	2	3	4
			(5) आगामी 5 वर्षों के लिए यदि कोई हो तो बी टी आर और कैमरों की अनुमानित आगामी आवश्यकताएं
15	24	अध्याय X	वर्तमान कंडिका 209 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— ऐसे आवेदनपत्र जिनके लिए विशेष निकासी की आवश्यकता हो "209-क, उपर्युक्त कंडिका 206, 207 और 209 के अंतर्गत आने वाले उन मामलों में जिनमें इलैक्ट्रोनिक विभाग या अंतर-विभागीय निकासी की आवश्यकता हो तो आवेदक को जैसा भी मामला हो निकासी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदनपत्र की एक प्रति इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजनी चाहिए । ऐसे मामलों में संबंद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा तभी लाइसेंस जारी किए जाएंगे जबकि आवश्यक निकासी दे दी गई हो"
16	32	अध्याय XI कंडिका 273	वर्तमान उप-कंडिका (4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— "(4-क) आयात प्रतिपूर्ति हकदारी की गणना करने के प्रयोजन के लिए विदेशी अभिकर्ता को अदा कर दी गई या अदा की जाने वाली कमीशन या बट्टे की धनराशि निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य में से घटा दिया जाएगा
17	32	अध्याय XI उप-कंडिका 276 (1)	वर्तमान उपकंडिका 276 (1) को इस प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— "(1) आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन जैसा भी मामला हो इस प्रकार भेजने चाहिए जो निर्यात की अवधि समाप्त होने से या परेषण निर्यातों के मामले में बिक्री वसूली की प्राप्ति अवधि के समाप्त होने के तीन मास के भीतर संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास पहुंच जाएं । ऐसे मामलों में जहां बिक्री वसूली पहले ही प्राप्त हो जाती है या जहां निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित आस्थगित वसूली की शर्तों पर किए गए हैं, वहां आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजने की समय सीमा वास्तविक निर्यात की अवधि के संदर्भ के साथ गिनी जाएगी।"
18	33	अध्याय XI कंडिका 280	(1) उपकंडिका 280(3) के शुरू का वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "डाक द्वारा किए गए किताबों और अखबारों के निर्यातों के वे पंजीकृत निर्यातक जिन्हें डाक संबंधी औपचारिकताओं के पालन किए बिना ही अपने निर्यात प्रभावी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है या जिन्हें सामान्य बैंक के माध्यम से उसे भेजे बिना ही प्रेषिती को सीधे ही दस्तावेज भेजने की अनुमति दी गई है:—"
			(2) उपकंडिका 280(5) के शुरू के वाक्य को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:— "समुद्री जहाज/हवाई जहाज द्वारा किए गए किताबों और अखबारों के निर्यातों के वे पंजीकृत निर्यातक जिन्हें जी० आर० फार्म की औप-चारिकताओं का पालन किए बिना ही अपने निर्यात प्रभावी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है या जिन्हें सामान्य बैंक के माध्यम से उसे भेज बिना ही प्रेषिती को सीधे ही दस्तावेज भेजने की अनुमति दी गई है:—"
19.	34	अध्याय—XI कंडिका 280(11)	(1) आरम्भ वाले वाक्य को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "समुद्री भाड़ वाले आधानों की बिक्री के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने चाहियें :—
			(2) उप-प्रविष्टि सं० (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :— "परिशिष्ठ 10, अनुबन्ध 5 में दिये गये प्रपत्र में (प्रपत्र-1) बैंक प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)
20.	34	अध्याय—XI कंडिका 280(12)	प्रथम पंक्ति में "द्वारा" शब्द को संशोधित कर 'के लिये' शब्द पढ़ा जायेगा ।
21.	36	अध्याय—XI कंडिका 286	(1) इस कंडिका की अन्तिम पंक्ति को हटा दिया जाएगा

1	2	3	4
			(2) निम्नलिखित की अन्त में जोड़ा जायेगा :— "प्रेषण के आधार पर निर्यातों के मामले में विदेशी मुद्रा की रसीद का बैंक प्रमाणपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 10 के अनुबन्ध 9 में दर्शाए गये प्रपत्र में भेजा जाना चाहिये ।"
22.	38	अध्याय—XI कंडिका 286(6)	निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जायेगा :— "इन व्यवस्थाओं के लिये उन निर्यात आदेशों के मामलों में ढील दी जा सकती है जो (क) अपरिवर्तनीय साखपत्र के साथ हों या (ख) जो विदेश में सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन (या सहायता परियोजनाओं के मामले में भारत में से प्राप्त किये गये हैं । ऐसे मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी उस आवेदक से अग्रिम लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है जिसके मामले में 2 या इससे अधिक पहले के अग्रिम लाइसेंसों से सम्बद्ध निर्यात आभार अभी भी पूरे करने बाकी हों ।
		टिप्पणी :—	वह आभार "बकाया" माना जायेगा यदि अग्रिम लाइसेंस/रिहाई आदेश के धारक ने लाइसेंस प्राधिकारी की राय में (1) इसके अन्तर्गत आने वाले निर्यातों को निर्धारित अवधि के दौरान (यदि कोई बढ़ाई गई अवधि हो तो उसके सहित) संतोषजनक रूप से पूरा नहीं किया है या (2) उन भूतपूर्व अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में कर छूट प्रमाण पत्र को छुड़ाने के लिये तुरन्त कदम उठाये हैं जिनके मदे निर्यात से 6 मास पूर्व या इससे अधिक पूर्व किये गये थे ।"
23.	38	अध्याय—XI पैरा 289(7)	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "लेकिन ऐसे मामलों में अग्रिम लाइसेंसों के मदे आयात की गई और संबंधित निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में उपयोग न की गयी सामग्री का उपयोग आगे के निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए निर्यात उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है । लेकिन जिस मामले में आयातक अपने निजी कारखाने में घरेलू उत्पादन के लिए (शेष) आयातित सामग्री का उपयोग करना चाहता है तो वह उक्त सामग्री का निर्यात उत्पादन के लिए क्यों उपयोग नहीं कर सका इसका कारण देते हुए उसे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी की लिखित रूप से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए"
24.	38	अध्याय—XI पैरा 289(9) उपखण्ड (ब)	विद्यमान उपखंड (घ) निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी:— टिप्पणी :— लाइसेंस प्राधिकारी के लिए यह छूट होगी कि वह अग्रिम लाइसेंसों के मदवे आयात के लिए आवेदित मदों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों में भी बैंक गारन्टी की मांग करे"
25.	46	अध्याय—XIII पैरा 323	अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "जिन पण्य वस्तुओं के लिए निर्यात की उच्चतम सीमा एक या अधिक विशिष्ट लाइसेंस प्राधिकारियों के अधिकार में है उनके संबंध में इच्छुक निर्यातक ऐसे लाइसेंस प्राधिकारियों में से किसी एक से निर्यात के लिए आवेदन कर सकता है । ऐसे मामलों में प्रत्येक निर्यात आवेदनपत्र के साथ निर्यातक को यह घोषणा पत्र दाखिल करना चाहिए कि उसने उसी पण्यवस्तु के लिए किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी से (उसी लाइसेंस अवधि में) आवेदन नहीं किया है ।"
26.	54	अध्याय—XV पैरा 385(8)	विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

1	2	3	4
			"यथा लागू 10 रुपये की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट; और"
27.	56	अध्याय—xi	विद्यमान पैरा 397 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा :— "निर्यातकों के पंजीकरण/विपंजीकरण/से संबंधित अपील और पुनरीक्षा आवेदनपत्र :— 397—क, जिस मामले में निर्यातक परिशिष्ट 10 (अनुबन्ध-क) में सूचीबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसको पंजीकृत करने से इंकार करने या विपंजीकृत करने से संतुष्ट न हो उसमें निर्यातक अपील के निर्णय के पत्र की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से अपील कर सकता है । ऐसी अपील पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा यदि आवश्यक होगा तो वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली से परामर्श किया जायेगा ।" (2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अन्तर्गत या इस पुस्तक के पैरा 272 के अन्तर्गत मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति निर्णय वाले पत्र की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार के लिये प्रतिवेदन कर सकता है । ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने पर यदि ऐसा निर्णय लिया गया तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली या तो निर्यातक को स्वयं पुनः पंजीकृत कर सकता है या पंजीकरण को पुनः वापिस कर सकता है या वह ऐसे निर्यातक को पुनः पंजीकृत करने के लिये पंजीकरण पुनः वापिस देने के लिये पंजीकरण प्राधिकारी को निदेश दे सकता है । ऐसे मामलों में पंजीकरण करना या पंजीकरण पुनः वापस देना ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात निश्चित करे,"
28.	115	परिशिष्ट 5, निर्यात असबाब नियमावली—क नई धारा-(5)	"1 कि०ग्रा०" के लिये "2 कि० ग्रा० पढ़ें।
			खाद्य पदार्थ-चाय तथा काफी
29.	123	परिशिष्ट 7 प्रविष्टि सं० 3	वर्तमान प्रविष्टि को हटाया जायेगा ।
30.	123	परिशिष्ट—7/प्रविष्टि सं० 24	दूसरी पंक्ति में आने वाले "फिल्म स्टुडियों" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "फिल्म संसाधन प्रयोगशालायें,"
31.	125-26	परिशिष्ट-8	(1) निम्नलिखित को क्रम सं० 14 के सामने कालम 4 में जोड़ा जायेगा :— "एवं मिजोरम" (2) क्रम सं० 20 के सामने कालम 4 में "चन्दर" शब्द को चंडीगढ़" पढ़ें ।

क्रम सं० 87 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

1	2	3
87-क	मराठी ग्रन्थ संग्रहालय बिल्डिंग, सुभाष रोड,	थाना (जिला थाना) नेताजी थाना

32.	129	परिशिष्ट 9, अनुबन्ध-1 महाराष्ट्र में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की उन शाखाओं के नाम जो भुगतान लेने के लिये प्राधिकृत हैं ।	
33.	133	परिशिष्ट 10, अनुबन्ध-1 पंजीकरण प्राधिकारी क्रम सं० 13, कालम 3	वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, 714, इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली और चर्च गेट, चेम्बर, सातवीं मंजिल, 5, न्यू मैरिन लाइन्स, बम्बई-400020 और 714/3 गुरुदेव नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय या हाथकरघा उत्पादों के मामले में हाथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, 123, माउंट रोड, मद्रास-600006 वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :—
34.	133	परिशिष्ट 10, अनुबन्ध-1 पंजीकरण प्राधिकारी क्रम सं० 16, कालम 3	"पोशाक निर्यात संवर्धन परिषद् सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19, और टैक्सटाइल सैन्टर, प्रथम मंजिल पूना स्ट्रीट, पी०डी० मेलो रोड, बम्बई-400009 पर इस के क्षेत्रीय कार्यालय ।

1	2	3	4
35.	138	परिशिष्ट-X अनुबन्ध-5 निर्यात प्रपत्र सं० 1 का बैंक प्रमाण-पत्र	(1) कालम 3 का शीर्षक, अर्थात् "माल का विवरण" को इस प्रकार से पढ़ने के लिये संशोधित किया जायेगा :— "सीमाशुल्क अधिप्रमाणित पोत परिवहन बिल में दिये गये के अनुसार माल का विवरण ।" (2) बैंकर द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले प्रमाण पत्र में, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "हमने यह भी सत्यापन कर लिया है कि संगत पोत परिवहन बिल में यथा संकेतित संबंधित संगत पावती की तिथि. . . . . . .है (तिथि दी जानी है)।"
36.	139	परिशिष्ट-X अनुबन्ध-5 निर्यात प्रपत्र सं० 2, का बैंक प्रमाण-पत्र कालम-4	(1) कालम 4 का शीर्षक, अर्थात् "माल का विवरण" को इस प्रकार पढ़ने के लिये संशोधित किया जायेगा :— "सीमाशुल्क अधिप्रमाणित पोत परिवहन बिल में दिये गये के अनुसार माल का विवरण ।" (2) बैंकर द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "हमने यह भी सत्यापन कर लिया है कि संगत पोत परिवहन बिल में यथा संकेतित संबंधित संगत पावती की तिथि. . . .है (तिथि दी जानी है)।"
37.	142-143	परिशिष्ट—X अनुबन्ध-8 लाइसेंस प्राधिकारियों की सूची	(1) क्रम सं० 1 के सामने के कालम 2 से निम्नलिखित को हटा दिया जायेगा :— "गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली ।" (2) क्रम सं० 2 के सामने के कालम (2) में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "बिहार और उड़ीसा ।" (3) वर्तमान क्रम सं० 16 के बाद नई क्रम सं० 17 को जोड़ा जायेगा और कालम (1) और (2) में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेगी :— "17 नियंत्रक आयात-निर्यात, पणजी (गोवा) — गोवा, दमन, और नागर हवेली ।"
38	154	आयातित कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री के उपभोग को प्रदर्शित करने वाला विवरण—नोट	वर्तमान नोट 4 (डी) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "5 सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के मामले में विवरण पत्र संस्थान के आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ।"
39	186 से 189	परिशिष्ट 22. भाग 1 से 3 उप कंडिका 3(क) और (ख)	वर्तमान शब्द ऐसे व्यवसायी सनदी लेखा पाल द्वारा "विधिवत् प्रमाणित जो कंपनी का संचालक न हो या कर्मचारी न हो या सांविधिक लेखा परीक्षक न हो", के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा :— "ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् कम्पनी का संचालक न हो या कर्मचारी न हो या इसके किसी उद्यम से संबद्ध न हो लेकिन कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक हो सकता है ।"
40.	190 से 194	परिशिष्ट 22, भाग 4 से 6 कंडिका 3(क) और (ख)	वर्तमान शब्द, व्यवसायी सनदी लेखापाल द्वारा "विधिवत् प्रमाणित जो फर्म का साझीदार न हो या कर्मचारी नहीं है या फर्म का सांविधिक लेखा परीक्षक नहीं है" के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:— "ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित जो फर्म का भागीदार या कर्मचारी नहीं है या इसके किसी उद्यम से सम्बद्ध नहीं है लेकिन वह फर्म का सांविधिक लेखा परीक्षक हो सकता है ।"
41.	207	परिशिष्ट 31, कंडिका 5	छठी लाईन में अंक "41" को "298" के रूप में पढ़ा जायेगा ।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 88 ITC (PN)/78

New Delhi the 27th Novembr, 1978

Subjct : Amendment to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79.

(F. No. 1/41/74-EPC- (Vol. IV) .—Attention is invited to the Hand Book of Import-Export Procedure, 1978-79 published

under the Department of Commerce Public Notice No. 29-ITC (PN)/78 dated the 4th May, 1978.

2. The following amendments shall be made in the said Hand Book at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Hand Book	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	3	Chapter II, Para 19	The existing time limits of "30 days" and "15 days" laid down shall be reduced to "15 days" and "10 days", respectively.
2	3	Chapter II, Para 21	The following shall be added at the end :— "Requests for interviews will in suitable cases/ situations be entertained even where the applicant has not made use of the facility available in para 19 above."
3	6	Chapter III, Para 42	In the first line, the words "grant of refusal" shall be amended to read as "grant or refusal".
4	7	Chapter IV, Para 47	The first sentence shall be substituted by the following :— "Licensing offices headed by a Controller except those at Srinagar/Jammu, Panaji (Goa) and New Kandla, are not authorised to issue REP licences."
5	9	Chapter VI Para 70	The following shall be added at the end :— "This will, however, not apply to Advance (including Impres) Licences."
6	13	Chapter VII Para 117	The following shall be added after the first sentence and before the second: "This facility will also be available to such Actual Users as are eligible to import the same goods under Open General Licence."
7	16	Chapter VIII Capital Goods Para 141	The following shall be added at the end :— "Similarly applications for the import of Capital Goods against REP licences in accordance with the paras 185-186 below may be made at any time."
8	16	Chaptr VIII "Project Approval Board"	After the existing para 145 the following new para shall be inserted:— "145-A. Composite proposals relating to Fertilizer Projects may be, however, submitted to the Special Committee of Secretaries on Fertilizer Projects, Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi, instead of the Project Approval Board."
9	16	Chapter VIII Para 147	This para shall be deleted
10	17	Chapter VIII Para 150	The existing para shall be amended to read as under:— "150. Attention is specially invited to the provisions of the Import Policy in this regard. All applications (including those for their import against import replenishment licences) should be made only through the Department of Electronics (Computer Directorate) Vigyan Bhavan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. Where the value of the computer system is more than Rs. 25 lakhs, the import licence will be issued by the Chief Controller of Imports and Exports after approval by the C.G. Committee."
11	20	Chapter VIII Para 184-A (inserted vide Department of Commerce Public Notice No. 31-ITC (PN)/78 dated 15-5-1978)	After the word" Dies" at the end, the following shall be added :— "including drawing dies"
12	20	Chapter VIII	After the existing para 184-A, the following shall be inserted :— "184-B. The provisions of paras 181-184 above shall

1	2	3	4
			be applicable also to the import of Precision measuring tools (but not other types of tools) :"
13	20	Chapter VIII Para 185	The phrase in the 8th and 9th lines reading "REP licences are not more than six months old" shall be amended to read as under:— "The connected REP licence (s) have an unutilised balance of at least 6 months in the period of validity as on the date of the applications."
14	24	Chapter -X Para 207	The following shall be added at the end :— "Applications should be made in Form 'E' prescribed by import of Capital Goods giving the following information : (i) justification for import, clearly indicating the usage to which the camera and VTR will be put to ; (ii) catalogue of the products sought to be imported giving full specifications and copy of the supplier's invoice; (iii) reasons why the type/model applied for has been chosen vis-a-vis other available types/models; (iv) provision for after-sales service, procurement of tape cassettes/spools on a regular basis as well as estimated requirements of these on an annual basis; and (v) estimated further requirements, if any, of VTRs and came as for the next five years.
15	24	Chapter X	After the existing para 209, the following shall be inserted :— Import applications requiring special clearance. "209-A. In cases covered by paras 206, 207 and 209 above, requiring special clearance by the Department of Electronics or the Inter-Departmental Committee, the applicant should sent one copy of his import application to the Department of Electronics, New Delhi or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, as the case may be, for obtaining clearances. Import licences in such cases will be issued by the licensing authorities concerned after the necessary clearance has been given."
16	32	Chapter XI Para 273	After the existing sub-para (4) the following shall be added :— "(4-A) Amount of commission or discount paid or payable to foreign agent shall be deducted from the f.o.b. value of exports for the purpose of calculating the import replenishment entitlement."
17	32	Chapter XI Sub-para 276(1)	The existing sub-para 276(1) shall be amended to read as under :— "(1) Applications for import replenishment licence should be made so as to reach the licensing authority concerned within a period of three months from the end of the period of export or from the end of the period of receipt of sale proceeds in the case of consignment exports, as the case may be. In case where the sale proceeds are received in advance or where exports are made on R.B.I. approved deferred payment terms, the time limit for submission of applications for import replenishment will be reckoned with reference to the period of actual export."
18	33	Chapter XI Para 280	(i) The opening sentence of sub-para 280 (3) shall be substituted by the following :— "Exports of Books &

1	2	3	4
			Newspapers by post made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their exports without observing P.P. fermalities or have been allowed to send the documents direct to the consignee without routing the same through normal banking channel :—"
			(ii) The opening sentence of sub para 280(5) shall be substituted by the following :— "Exports of Books & News papers by sea/air made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their export without observing G.R. Form formalities or have been allowed to send their documents direct to the consignee without routing the same through normal banking channels :"
19	34	Chapter XI Para 280(11)	(i) The opening sentence shall be amended to read as under :— "In the case of sale of ocean freight containers, the following documents should be furnished :—
			(ii) Sub-entry No. (iv) shall be substituted by the following:— "Bank Certificates (in original) in the form given in Appendix 10, Annexure V(Form I)."
20	34	Chapter XI Para 280(12)	The word "By" in the first line shall be amended to read as "to".
21	36	Chapter XI Para 286	(i) The last sentence of this para shall be deleted.
			(ii) The following shall be added at the end:— "In the case of experts on consignment basis, the bank certificate of receipt of foreign exchange should be furnished in the form appearing in Annexure IX in Appendix 10 of this Book."
22	38	Chapter XI Para 289(6)	The following shall be added at the end:— "These provisions may be relaxed in cases where export orders (a) are supported by irrevocable letters of cred o) have been received from a Government or a public sector organisation abroad (or in India in the case of aided (projects). In such cases the censing authority may consider an application for an Advance Licence from an applicant in whose case the export obligations relating to two or more earlier Advance Licences are sti outstand ng.
			NOTE : An obligation will be treated as "outstanding" if the concerned Advance Licence/Release Order holder has not, in the opinion of the licensing authority, fulfilled the exports covered by it satisfactorily within the prescribed period including any extension of time granted) or (ii) taken expeditious steps to redeem the Duty Exemption Certificates in respect of past Advance Licences against which exports were made 6 months or more earlier."
23	38	Chapter XI Para 289(7)	The following shall be added at the end:— "In such cases, however, the material(s) imported against the Advance Licence and not used in the manufacture of goods exported for the execution of the relevant export order, can also be used for export production for execution of further export orders. However, where an importer desires to use the (balance) imported materials for domestic production in his own factory, he should obtain the prior written premission of the licensing authority concerned, giving adequate justification for not being able to use the said materials for export production."

1	2	3	4
24	38	Chapter XI Para 289(9) Sub-clause (d)	The existing sub-clause (d) shall be amended to read as:— "Note: It will be open to the licensing authority to call for a bank guarantee even in cases referred to in (a) and (b) above, having regard to the nature of the item(s) sought to be imported against the Advance Licence(s)".
25	46	Chapter XIII Para 323	The following shall be added at the end:— "In respect of commodities for which export ceilings are placed at the disposal of one or more of specified licensing authorities, the intending exporter can apply for export to any one of such licensing authorities. With each export application in such cases, the exporter should file a declaration that he has not made an export application for the same commodity to any other licensing authority (in the same licensing period.)"
26	54	Chapter XV Para 385(viii)	The existing provision shall be substituted by the following:— "Bank receipt/demand draft of Rs. 10/–, as applicable; and".
27	56	Chapter XV	After the existing para 397, the following shall be added:— "Appeal & review applications relating to registration/deregistration of exporters:— 397-A Where an exporter is not satisfied with a decision of a Registering Authority listed in Appendix 10 (Annexure I), refusing to register him or deregistering him, he may prefer an appeal to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, within a period of 60 days from the date of the communication containing the decision appealed against. Such appeals will be considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, if necessary, in consultation with the Department of Commerce, New Delhi. (2) Any person aggrieved by the decision of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi taken under sub-para (1) above or under para 272 of this Book, may make a representation to him for review of such decision within a period of 60 days from the date of the communication containing the dedicison against which the representation is made. On consideration of such representations, if it is so decided, the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, may, either himself re-register the exporter, or restore registration or he may direct the registering authority to re-register such exporter or restore his registration. The re-registration or restoration of registration in such cases will be subject to such condition(s) as the Chief Controller may decide."
28	115	Appendix 5, Export Baggage Rules-B. New Articles-(5) Foodstuffs—Tea & Coffee.	For "1 Kg", read "2 Kgs."
29	123	Appendix 7 Entry No. 3	The existing entry shall be deleted.
30	123	Appendix-7 Entry No. 24	After the words "film studios" occurring in the second line, the following shall be added:— "Film processing laboratories,"
31	125—126	Appendix-8	(i) The following shall be added in Column 4 against S. No. 14:— "and Mizoram." (ii) In column 4 against

1	2	3	4
			S. No. 20, the word "Chander" shall be read as Chandigarh."
32	129	Appendix 9, Annexure I, Names of the branches of the Central Bank of India in Maharashtra authorised to receive payments.	After S. No. 87, the following shall be inserted:—

1	2	3
87-A	Marathi Grantha Sangrahalaya Building, Netaji Subhash Bose Road.	Thane (Distt. Thana).

33	133	Appendix 10, Annexure I, List of Registering Authorities, S. No. 13, Col. 3	The existing entry shall be amended to road as under:— "Wool & Woollen Export Promotion Council, 714, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi and its regional offices at Churchgate Chambers, 7th Floor 5, New Marine Lines, Bombay-400020, and 714/3 Gurdev Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana. Or Handloom Export Promotion Council, 123, Mount Road, Madras-600006, in the case of handloom products."
34	133	Appendix 10 Annexure I, List of Registering Authorities, S. No. 16, Col. 3	The existing entry shall be amended to read as under:— "Apparels Export Promotion Council Sahyog Building, 4th Floor, 58 Nehru Place, New Delhi-19 and its regional office at Textile Centre, 1st Floor, Poona Street P.D. 'Mello Road, Bombay-400009.
35	138	Appendix 10 Annexure V, Bank Certificate of Exports—Form No. I	(i) The heading of Col. 3, namely, "Description of goods" shall be amended to read as under:— "Description of goods as given in the customs authenticated shipping bill." (ii) In the certificate to be signed by the bankers, the following shall be added:— "We have also verified that the date of the connected Mate receipt as indicated in the relevant Shipping Bill is ....(date to be given)."
36	139	Appendix 10, Annexure V, Bank Certificate of Exports, Form No. II, Col. 4	(i) The heading of Column No. 4 namely, "description of goods" shall be amended to read as under:— "Description of goods as given in the customs authenticated shipping bill." (ii) In the certificate to be signed by the bankers, the following shall be added:— "We have also verified that the date of the connected Mate receipt as indicated in the relevant Shipping Bill is....(date to be given)."
37	142-143	Appendix 10, Annexure VIII List of licensing authorities.	(i) Against S. No. 1, the following shall be deleted from Column (2):— "Goa, Daman Diu, Dadra and Nagar Haveli" (ii) Against S. No. 2, the following shall be added in Column (2):— "Bihar & Orissa" (iii) After the existing S. No. 16, the new S. No. 17 shall be added and the following entries made in Column (1) & (2):— "17. Controller of Imports and Exports, Panaji (Goa) Goa, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli."
38	154	Statement showing consumption of imported raw materials, components and consumables—Notes.	After the existing Note (4)b, the following shall be added:— "5. In the case of public sector undertakings, this statement may be certified by the Internal Auditor of the undertaking."
39	186 to 189	Appendix 22, Parts I to III, Sub-paras 3(a) and (b)	For the existing words "duly certified by a Chartered Accountant in practice who is not a Director or an employee or a Statutory auditor of the Company", the following shall be substituted:—

1	2	3	4
			"duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the Company."
40	190-194	Appendix 22, Parts IV to VI Paras 3(a) and (b)	For the existing words "duly certified by a Chartered Accountant in practice who is not a partner or an employee of the firm or a statutory auditor of the firm", the following shall be substituted:— "duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner, or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm."
41	207	Appendix 31, Para 5.	In the sixth line, the figure "41" shall be read as "298".

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978